न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 26/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/39

प्रार्थी :–		**अप्रार्थी :–**
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा	**बनाम**	श्री मनीष मईडा/ रमेश मईडा, प्रोपराईटर जय भवानी अपना ढाबा, कूपडा बायपास, बांसवाडा

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि श्री आकाश पटेल अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 07–05–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 07.10.2024 द्वारा दिये गये निर्देशो के तहत दिनांक 28.02.2025 को कुपडा बायपास में स्थित जय भवानी अपना ढाबा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री मनीष मईडा/ रमेश मईडा की उपस्थिति में श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रवर्तन अधिकारी, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एच.पी गैस	150348 J	27.100	15.800	11.300
2	एच.पी गैस	637689 [illegible]	[illegible]	15.600	7.000

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:54 IST
Reason: SelfAttested

श्री मनिष मईडा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर [illegible] गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, [illegible] किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध

भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सागर गैस एजेन्सी बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हेमन्त मेहता/ नरेन्द्र मेहता को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 07.05.2025 को अप्रार्थी ने उनके अधिवक्त के साथ उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा गैस सिलेण्डर स्वयं के है जो घरेलु कार्य हेतु उपयोग में लिये जाते है। सिलेण्डर में गैस काफी कम हो जाने के कारण उसे भरवाने के लिये दुकान के अन्दर रखा था, लेकिन दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने गलती से दुकान के बाहर रख दिया। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का कोई अवैध व्यवसाय या कारोबार नही किया जाता है और न ही अवैध भण्डारण किया जाता है। जब्तशुदा 2 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 28.02.2025 को कुपडा बायपास में स्थित जय भवानी अपना ढाबा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री मनीष मईडा/ रमेश मईडा की उपस्थिति में श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रवर्तन अधिकारी, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री मनिष मईडा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सागर गैस एजेन्सी बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हेमन्त मेहता/ नरेन्द्र मेहता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:54 IST
Reason: SelfAttested

सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 07–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:54 IST
Reason: SelfAttested